तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … जो इस … में …
19/2/16.	पत्रावली आज लोक अदालत शिविर मा[illegible] पर पेश की गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश किये जाने की वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाना … की पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आदेश किया। फर्द बटवारा हेतु पत्र तहसीलदार बेगूं को लिखा जाकर [illegible] चाही जावे। पत्रावली दि० 28/2/16 को पेश हो।	
28/3/16 -	पत्रावली पेश हुई, वकील हाजिर प्रकरण में फर्द बटवारा की पालना प्राप्त नहीं पुनः पत्र लिखा जाकर पालना चाही जावे। पत्रावली दि० 9/5/16 को पेश हो।	
12/4/16.	पत्रावली लोक अदालत शिविर [illegible] पर रखाई गई। प्रकरण में फर्द बटवारा रिपोर्ट पेश की गई जो कि प्रारम्भिक डिक्री अनुसार होने से वाद वादीगण का स्वीकार कर इस अंतिम डिक्री का … विस्तृत निर्णय पृथक किया जाता है। डिक्री से लिखा जाकर [illegible] किया। डिक्री खेया का इन्द्राज [illegible] की गई। पत्रावली [illegible] से बाद की … दाखिल दफ्तर की जावे।	

उप खण्ड मजिस्ट्रेट बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

लोक अदालत कैम्प –पारसोली

न्यायालय बईजलास अमानुल्लाह खान आर.ए.एस(उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)

वा स0– 125/2015

1– प्रभु पिता बालिया जाति बोला निवासी पारसोली
2– राधेश्याम पिता बालिया बोला उम्र वयस्क निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3– भूरीबाई बेवा बालिया बोला उम्र वयस्क नि0 पारसोली तह0 बेगूँ
जिला चित्तौडगढ (राज0) .... वादीगण

बनाम

1– रतनलाल पिता शंकर जाति बोला उम्र वयस्क नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
2– भैरूलाल पिता शंकर जाति बोला उम्र वय?सक नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
3– कैलश पिता शंकर जाति बोला उम्र वयस्क नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
4– नंदूबाई बेवा शंकर जाति बोला उम्र वयस्क नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
5– श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ
.................प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1 श्री एस. के. बिल्लू, विद्वान अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :–12.4.2016

वादपत्र अंतर्गत धारा–53 राज0 ट0 एक्ट

वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण एक वादपत्र अन्तर्गत धारा–53 राज0ट0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि

1– वादीगण का वादपत्र अंतर्गत आदेश–1 से 4 तक के संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम पारसोली प.स. पारसोली तहसील बेगूँ में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खसरा नं0	रकबा हैक्टर	लगान
289	0.3800	9.16
290	0.0500	0.13
291	0.0300	आ.चा.
294	0.2300	5.54
295	0.200	0.05
[illegible]	0.1100	0.32
किता–6	रकबा 0.8200 हैक्टर	17.19

2– यह कि वादीगण प्रभू, राधेश्याम के भाई काना पिता बालिया बोला (रैगर) की लाऔलाद स्थिति में मृत्यु हो चुकी है इसलिए वादपत्र में काना उर्फ कन्हैयालाल पिता बालिया का नाम अंकित नहीं किया है।

3– यह कि कलम स0–1 मे वर्णित कृषि भूमि में हम वादीगण का मिलाकर 1/2 हक हिस्सा निहित है। हम वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनाक 01.07.2015 ई0 को तहसील में चलकर बंटवाडा (विभाजन) कराने को कहा तो उन्होंने तहसील में चलकर बंटवाड़ा कराने से मना कर दिया इसलिए हम वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई ।

4– यह कि वाद मूल्य पांच लाख रूपये आंका जाकर वादपत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अंदर अवधि पेश है। वादपत्र का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश है। भूमिधारी तहसीलदार [illegible] पक्षकार होने से प्रकरण मे पक्षकार बनाये गये है।

5– यह कि वादकारण दिनाक 01.07.2015 ई0 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा करने से मना करने से उत्पन्न होकर हरराज वर्तमान है।

6– यह है कि प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन प्रोसेस मय नकल वादपत्र के पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री जारी फरमाई जावे :–

(क) कि कलम स0–1 मे वर्णित कृषि भूमि का विभाजन किया जाकर हम वादीगण के 1/2 हक हिस्से को अलग किया जाकर राजस्व रेकार्ड में भी खाता अलग किये जाने की डिक्री जारी फरमाई जाये।

(ख) कि वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी हम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाये।

(ग) कि अन्य कोई दाद जो सुलभ वादीगण हो वह भी प्रदान की जाये।

वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] तलब किया गया ,प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा

Scanned by CamScanner

ए । अधिवक्ता वादी द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किए जाने का निवेदन [illegible] प्रकरण को लोक अदालत कैम्प माधोपुर पर रखाया गया । पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का [illegible] हमारे द्वारा किया गया ,वाद वर्णित आराजीयात मौजा पारसोली की आराजी संख्या 289,290,291,294,295,296 कीता–6 कुल रकबा 0.8200हैक्टर भूमि के खातेदार श्री रतनलाल भैरूलाल कैलाश [illegible] शंकर नन्दुबाई बेवा शंकर 1/2 प्रभु काना राधेश्याम पिता बालिया भूरीबाई बेवा बालिया 1/2 खातेदार है । खातेदार काना पिता बालिया को लाऔलाद फोत होने का कथन वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित किया है , उसकी मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भी उपस्थित ना कर इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति या जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है । वादीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है ,तथा [illegible] खातेदारी आराजी को राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज कराना चाहते है । प्रस्तुत दस्तावेज से [illegible] का वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाये जाने से वादीगण का वाद पत्र लोक अदालत कैम्प माधोपुर पर निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया गया :–

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53 आर0टी0एक्ट का स्वीकार किया जाता है । मौजा पारसोली की आराजी संख्या 289,290,291,294,295,296 कीता–6 कुल रकबा 0.8200हैक्टर भूमि के खातेदार वादीगण प्रभु , राधेश्याम पिता बालिया व भूरीबाई बेवा बालिया को 1/2 हक से घोषित कर खातेदार काना पिता बालिया के फोत हो जाने से उनका नाम हटाया जाता है । तथा प्रतिवादीगण रतनलाल भैरूलाल कैलाश पिता शंकर नन्दुबाई बेवा शंकर हिस्सा 1/2 अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है । तहसीलदार बेगूँ को आराजी का फर्द बटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाकर पालना चाही जावें ।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना मे पत्र तहसीलदार बेगूँ को लिखा जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना मे भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पारसोली द्वारा लोक अदालत केम्प पारसोली पर फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ प्रस्तुत किया जो कि प्राथमिक डिक्री के अनुसार वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाने का आदेश दिया जाता है :–

अतः वाद वादीगण का अब0धा0 53 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार [illegible] मौजा पारसोली की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार से [illegible] अलग अलग खाते दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है :–

1. प्रभू,राधेश्याम पिता बालिया भूरीबाई बेवा बालिया बोला सा0देह खातेदार के खाते :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान
294	0.230	5.54
295	0.020	0.05
296	0.110	2.52
289 म स	0.040	1.36
कीता–4	0.400हैक्टर	9.47

2. रतनलाल,भैरूलाल,कैलाश पिता शंकर ,नन्दूबाई बेवा शंकर बोला सा0देह खातेदार के खाते:–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान
289 म स	0.340	7.80
290	0.05	0.12
कीता 2	0.390हैक्टर	7.92

आराजी संख्या 291 रकबा 0.030हैक्टर आ0चाह शामिल रहेगा ।

उपरोक्तानुसार खाता राजस्व रेकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज किया जाकर खाता पृथक किया जावें ।

आदेश आज दिनाक 12.4.2016 को लोक अदालत कैम्प माधोपुर पर लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(अमानुल्लाह खान)
सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)
बेगूं

लोक अदालत कैम्प –पारसोली

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

दावा सं0:– 125/2015

1– प्रभु पिता बालिया जाति बोला निवासी पारसोली
2– राधेश्याम पिता बालिया बोला उम्र वयस्क निवासी पारसोली तह0 बेगूँ
3– भूरीबाई बेवा बालिया बोला उम्र वयस्क नि0 पारसोली तह0 बेगूँ
जिला चित्तौडगढ (राज0) .... वादीगण

बनाम

1– रतनलाल पिता शंकर जाति बोला उम्र वयस्क नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
2– भैरूलाल पिता शंकर जाति बोला उम्र वय?सक नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
3– कैलाश पिता शंकर जाति बोला उम्र वयस्क नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
4– नदूबाई बेवा शंकर जाति बोला उम्र वयस्क नि0 सुखपुरा पारसोली तह0 बेगूँ
5– श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ
..................प्रतिवादीगण

प्रेषित

वादपत्र अ0धा0 53 आर0टी0एक्ट के लिए वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0बिल्लू ने प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री .... उपस्थित आये। इस वाद को आज 12.4.2016 को उपखंड अधिकारी बेगूँ के समक्ष लोक अदालत कैम्प माधोपुर पर निपटारे के लिए न्यायालय में पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री की जाती है कि

अतः वाद वादीगण का अब0धा0 53 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा मौजा पारसोली की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाकर अलग अलग खाते दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है :–

1– प्रभू,राधेश्याम पिता बालिया भूरीबाई बेवा बालिया बोला सा0देह खातेदार के खाते :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान
294	0.230	5.54
295	0.020	0.05
296	0.110	2.52
289 मे से	0.040	1.36
कीता 4	0.400हैक्टर	9.47

2– श्री रतनलाल,भैरूलाल,कैलाश पिता शंकर ,नन्दूबाई बेवा शंकर बोला सा0देह खातेदार के खाते:–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर में	लगान
289 मे से	0.340	7.80
290	0.05	0.12
कीता–2	0.390हैक्टर	7.92

आराजी संख्या 291 रकबा 0.030हैक्टर आ0चाह शामिल रहेगा ।

उपरोक्तानुसार खाता राजस्व रेकार्ड मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दर्ज किया जाकर खाता पृथक किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 12.4.2016 को लोक अदालत कैम्प पारसोली पर सुनाया जाकर लिखाया गया एव मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(अमानुल्लाह खान)
सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी)
बेगूँ

Scanned by CamScanner